



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2659]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 12, 2018/आषाढ़ 21, 1940

No. 2659]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 12, 2018/ASHADHA 21, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2018

का.आ. 3430(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 419 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कटक में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कटक न्यायपीठ की स्थापना करती है और उक्त प्रयोजन के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1935(अ) तारीख 1 जून, 2016 का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

- क्रम संख्यांक 9 के स्तंभ संख्यांक (4) में, "(3) ओडिशा राज्य" प्रविष्टि का लोप किया जाएगा;
- क्रम संख्यांक 10 के स्तंभ संख्यांक (4) में "(1) छत्तीसगढ़ राज्य" प्रविष्टि का लोप किया जाएगा;
- क्रम संख्यांक 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"12	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण कटक न्यायपीठ	कटक	(1) ओडिशा राज्य (2) छत्तीसगढ़ राज्य"
-----	--	-----	---

3. यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2018 को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. ए-45011/44/2018-प्रशा.IV]

जानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 1935(अ) तारीख 1 जून, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पञ्चवर्ती संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 345 (अ) तारीख 3 फरवरी, 2017 तथा का.आ. 3145(अ) तारीख 28 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2018

S.O. 3430(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 419 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby establishes the National Company Law Tribunal, Cuttack Bench at Cuttack and for the said purpose further amends the notification of the Ministry of Corporate Affairs number S.O. 1935 (E), dated the 1st day of June, 2016, namely:—

2. In the said notification, in the Table, -

- (i) in serial number 9, in column number (4), the entry “(3) State of Odisha”, shall be omitted;
- (ii) in serial number 10, in column number (4), the entry “(1) State of Chhattisgarh”, shall be omitted;
- (iii) after serial number 11 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:-

“12	National Company Law Tribunal, Cuttack Bench	Cuttack	(1) State of Odisha (2) State of Chhattisgarh”.
-----	--	---------	--

3. This notification shall come into force on the 15th day of July, 2018.

[F.No. A-45011/44/2018-Ad.IV]
GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1935(E), dated the 1st day of June, 2016 and subsequent amendments were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 345(E), dated the 3rd February, 2017, and *vide* number S.O. 3145 (E), dated the 28th June, 2018.